# मध्यप्रदेश विधान सभा
## ( षोडश विधान सभा )

## शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

## का

## पंचम् प्रतिवेदन

## ( फरवरी-मार्च, 2017 सत्र, भाग —2)

(यह प्रतिवेदन में सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, नर्मदा घाटी विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, श्रम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, संस्कृति, पर्यटन, लोक सेवा प्रबंधन, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजाति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा पर्यावरण विभाग के आश्वासनों से संबंधित )

### ( यह प्रतिवेदन दिनांक 18 मार्च, 2025 को सदन में प्रस्तुत. )

# <u>विषय सूची</u>


| क्रमांक<br>(1) | विषय<br>(2) | पृष्ठ संख्या<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | समिति का गठन | एक |
| 2. | प्रस्तावना | दो |
| 3. | प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची | तीन |
| 4. | विभागों के नाम:- | |
| | (1) सामान्य प्रशासन | 01 |
| | (2) वाणिज्यिक कर | 12 |
| | (3) नर्मदा घाटी विकास | 19 |
| | (4) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | 23 |
| | (5) श्रम | 30 |
| | (6) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण | 35 |
| | (7) वित्त | 39 |
| | (8) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण | 41 |
| | (9) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | 42 |
| | (10) संस्कृति | 44 |
| | (11) पर्यटन | 45 |
| | (12) लोक सेवा प्रबंधन | 47 |
| | (13) घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजाति | 48 |
| | (14) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 52 |
| | (15) पर्यावरण | 53 |

# शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
## ( वर्ष 2024-25)

**सभापति**

1. श्री हरिशंकर खटीक

**सदस्यगण**

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूल सिंह बरैया
10. डॉ. विक्रांत भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

**विधान सभा सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री ए.पी.सिंह | . . | प्रमुख सचिव |
| 2. | श्री अरविंद शर्मा | . . | सचिव |
| 3. | श्री वीरेन्द्र कुमार | . . | अपर सचिव |
| 4. | श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा | . . | अवर सचिव |
| 5. | श्रीमती कुंदा जाम्भुलकर | . . | अनुभाग अधिकारी |
| 6. | श्री मनोज कुमार इरपाचे | . . | सहायक ग्रेड-3. |

# प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **पंचम् प्रतिवेदन (भाग-2)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त, 2024 को गठित की गई है।

- इस प्रतिवेदन में, **फरवरी-मार्च 2017 सत्र (भाग-2)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

- समिति की बैठक 17 मार्च, 2025 में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

- समिति, प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

- समिति, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 17 मार्च, 2025

**हरिशंकर खटीक**

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

## प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

| क्र. | विभाग का नाम | आश्वासन क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | सामान्य प्रशासन | 76, 77, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 574, 575, 576, 577, 775, 776, 777 |
| 2. | वाणिज्यिक कर | 71, 72, 73, 74, 774, |
| 3. | नर्मदा घाटी विकास | 59, 60, 61, 301, 302, 304, 561, 762 |
| 4. | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | 339, 340, 597, 598, 599, 600, 787, 788, 789, 790, 791 |
| 5. | श्रम | 378, 621, 812, 813 |
| 6. | पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण | 78, 198, 445, 872, 873, 874, 875 |
| 7. | वित्त | 75, 314, 570, 571 |
| 8. | सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण | 667, 860 |
| 9. | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | 606, 794, 795, 796, |
| 10. | संस्कृति | 572, 573 |
| 11. | पर्यटन | 62, 63, 562, 763 |
| 12. | लोक सेवा प्रबंधन | 388 |
| 13. | घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजाति | 210, 463, 464, 691, 692, 885 |
| 14. | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 426, 427 |
| 15. | पर्यावरण | 107, 341, 601 |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | 76 | तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.1246) दिनांक: 23/02/2017 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह) | जिला भिण्ड में कम्प्यूटर प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत शासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा की जा रही जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाना। | (1) जैसे ही ई.ओ.डब्ल्यू. के जाँच के बिंदु आ जाएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी<br><br>(2) ईओडब्ल्यू को हमने प्रकरण दिया है ईओडब्ल्यू द्वारा जांच करने के बाद ही अगर उसमें दोषी पाया जायेगा,उसमें कार्यवाही होगी आप निश्चिंत रहिये।<br><br>(3) अभी प्रारंभिक जांच ही पूरी नहीं हुई है, वह होते ही दोषी पाया जायेगा तो अपराध पंजीबद्ध या जो भी कार्यवाही होगी वह करेंगे। | प्रकोष्ठ में जिला भिण्ड में कम्प्यूटर प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत शासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने के संबंध में प्रारंभिक जांच क्रमांक 09/2011 दर्ज होकर वर्तमान में जांच गतिशील है। जांच में पाये गये साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 09/02/2018**<br><br>**अद्यतन जानकारी :-**<br><br>प्रकरण में जांच उपरांत अपराध क्रमांक 12/2018 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें दिनांक 11.02.2020 को विशेष सत्र न्यायालय (एम.पी./एम.एल.ए.) में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 17/03/2020**<br><br>**अद्यतन जानकारी :-**<br><br>प्रकरण में जांच उपरांत अपराध क्रमांक 12/2018 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें दिनांक 11.02.2020 को विशेष सत्र न्यायालय (एम.पी./एम.एल.ए.) में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 27.01.2021 को पुन: विवेचना जारी करने के आदेश दिये गये है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-12/08/2021** | कोई टिप्पणी नही. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | <u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>प्रकरण के संबंध में प्रकोष्ठ में दिनांक 29.06.2011 को प्राथमिक जांच पंजीबद्ध की गई जांच उपरांत दिनांक 13.07.2018 को अपराध क्रमांक 12/2018 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य न होने से प्रकरण में खात्मा/अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक 01/20 दिनांक 07.01.20 को कता किया जाकर दिनांक 11.02.20 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अग्रिम विवेचना किये जाने के आदेश दिये गये है। आदेश के पालन में अग्रिम विवेचना की जा रही है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-22/11/2021**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में अतिरिक्त बिन्दुओं पर विवेचना पूर्ण कर खात्मा दिनांक 23.08.22 को कता किया जाकर माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (MP-MLA) ग्वालियर के समक्ष न्यायालय में दिनांक 02.09.2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है। आश्वासन से संबंधित कार्यवाही पूर्ण की गयी है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-29/02/2024** | |
| (2) | 77 | अतारांकित प्रश्न सं.49<br>(प्रश्न क्रं.785)<br>दिनांक: 23/02/2017<br>(श्री मुकेश नायक) | पन्ना जिले के पवई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जिला स्तर पर जन सुनवाई के शेष 104 आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही की जाना। | शेष 104 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | पन्ना जिला के पवई विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जिला स्तर पर जनसुनवाई के शेष 104 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक 30.06.2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **316** | तारांकित प्रश्न सं.2<br>(प्रश्न क्रं.1719)<br>दिनांक: 03/03/2017<br>(श्री के.डी. देशमुख) | बालाघाट एवं सिवनी जिलान्तर्गत गोंड, गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति में शासन के आदेशानुसार शामिल किया जाना एवं ग्वारी जाति पिछड़ा वर्ग की सूची में भी उल्लिखित होने से भ्रम की स्थिति दूर कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना। | (1) गोवारी जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के हमने आदेश दिये हैं और पुन: आदेश जारी करेंगे कि उनको अनुसूचित जनजाति का मानकर, उनको अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र बनाने के आदेश जारी करेंगे।<br><br>(2) पिछड़ा वर्ग आयोग उसमें परीक्षण कर रहा है यदि वह अनुशंसा करेंगे तो उसको वहां से विलोपित करने की कार्यवाही करेंगे।<br><br>(3) हम उसको दिखवा लेंगे और पुन: आदेश जारी करेंगे कि गोवारी जो अनुसूचित जनजाति में है उसके प्रमाण पत्र बनाये जायें।<br><br>(4) मैंने कितना स्पष्ट बोला है कि गोवारी अनुसूचित जनजाति की सूची में है उसका प्रमाण पत्र बनाया जायेगा। | भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के अनुक्रमांक 16 पर अंकित गोंड, गोवारी जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-7/2007/आप्र/एक, दिनांक 20 फरवरी, 2018 द्वारा कलेक्टर बालाघाट एवं सिवनी को नवीन निर्देश जारी होने से कार्यवाही पूर्ण ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक 22.02.2018** | कोई टिप्पणी नहीं |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | **317** | तारांकित प्रश्न सं.14<br>(प्रश्न क्रं.3601)<br>दिनांक: 03/03/2017<br>(श्री हर्ष यादव) | सागर संभाग अंतर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) माननीय सदस्य ने नाम बताया है मैं आज ही दिखवा लूंगा।<br><br>(2) माननीय सदस्य ने आनंद का नाम लिया है हम अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे कि यदि यह प्रक्रिया में है और ऐसा होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। | श्री अनिरूद्ध आनंद, एस.डी.ओ. जल संसाधन विभाग, जिला सागर के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन में अपराध क्रमांक 598/2015 दिनांक 18/12/2015 को धारा-7, 13 (1) डी, 13 (2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत् पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>प्रकरण लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत माननीय लोकायुक्त महोदय की अनुशंसा के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चूंकि प्रकरण न्यायिक स्वरूप का है एवं न्यायिक स्तर के अधिकारी के समक्ष प्रकरण विवेचनाधीन है। अतः प्रकरण की जांच में विलंब होना संभावित है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 22/09/2017** | समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रकरण में लोकायुक्त महोदय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) | **318** | तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.3417) दिनांक: 03/03/2017 (श्रीमती पारूल साहू केशरी) | जैसीनगर विकासखण्ड के ओंरिया ग्राम की विधवा महिला किसान के साथ एस.डी.एम. द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर एस.डी.एम. के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) मैं इस पूरे प्रकरण की एस.डी.एम. को हटाकर जांच करवा लूंगा।<br><br>(2) **आसंदी से निर्देश** :- माननीय मंत्री जी ने उसका समाधान यह किया कि अधिकारी को हटा करके जाँच करा लेंगे. अब आप कुछ समय दें ताकि जाँच हो सके। | विभाग के पत्र क्र0 बी-4/03/2017/2/एक, दिनांक 03.03.2017 द्वारा कलेक्टर, सागर को श्री संतोष चन्देल राप्रसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर को तत्काल प्रभाव से सागर अनुविभाग से हटाकर जिला स्थापना में अन्यंत्र पदस्थ करने हेतु निर्देशित किया गया था। सा0प्र0वि0 के उक्त निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर, सागर द्वारा उनके आदेश दिनांक 14/03/2017 से श्री संतोष चन्देल राप्रसे अनुविभागीय अधिकारी, सागर के पद से हटा कर अन्यत्र पदस्थ किया जा चुका है। इस प्रकार आश्वासन के उक्त विषयांश (1) की पूर्ति हो गयी है।<br>आश्वासन के विषयांश (2)के अनुक्रम में विभाग के पत्र क्र0 बी-4/03/2017/2/एक, दिनांक 03.03.2017 द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर को प्रश्नाधीन विधानसभा प्रश्न क्र0 3417 की विषय वस्तु से संबधित प्रकरण की जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।<br>सा0प्र0वि0 के उक्त निर्देश के अनुक्रम में आयुक्त, सागर संभाग, सागर से प्राप्त जानकारी दिनांक 20.07.2017 के अनुसार विस्तृत जांच पश्चात् प्रकरण में प्रथमदृष्टया श्री संतोष चन्देल रा0प्र0से0 तत्कालीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सागर की दोषिता प्रमाणित नही हुई है तथापि श्रीमती शारदा दांगी की मृत्यु के बाद सोशल नेटवर्क पर वायरल हुये वीड़ियो क्लिप की सत्यता का परीक्षण आयुक्त, सागर संभाग, सागर के माध्यम से निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ से करा ली गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री संतोष चन्देल रा0प्र0से0 को विभाग के आदेश दिनांक 19/09/17 द्वारा सागर से स्थानान्तरित कर बालाघाट पदस्थ कर दिया गया है। विभाग के उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री चन्देल रा0प्र0से0 द्वारा बालाघाट में अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 13.02.2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | **319** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.31) दिनांक: 03/03/2017 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) | लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 824/16 में संलग्न जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाना। | लोकायुक्त संगठन द्वारा जाँच प्रकरण क्रमांक 824/16 पंजीबद्ध किया जाकर जाँच विचाराधीन है। | लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध जांच प्रकरण क्रमांक 824/16 विधि सलाहकार-1, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रभार में विचाराधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017**<br><br>**अद्यतन जानकारी** :-<br>निर्देशानुसार निवेदन है कि विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च, 2017 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 31 के उत्तर से उद्‌भूत आश्वासन क्रमांक 319 में उल्लेखित प्रकरण लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत माननीय लोकायुक्त महोदय की अनुशंसा के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चूंकि प्रकरण न्यायिक स्वरूप का है एवं न्यायिक स्तर के अधिकारी के समक्ष प्रकरण विवेचनाधीन है। अतः प्रकरण की जांच में विलंब होना संभावित है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 22/09/2017** | समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रकरण में लोकायुक्त महोदय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। |
| (7) | **320** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.1990) दिनांक: 03/03/2017 (श्री लाखन सिंह यादव) | सहकारिता विभाग अंतर्गत ट्रेप के प्रकरणों पर अभियोजन की स्वीकृति की शीघ्र कार्यवाही की जाना। | अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। | सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2017/15-2 दिनांक 09/05/2017 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, अशोक नगर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | **321** | अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.1053) दिनांक: 03/03/2017 (श्री दुर्गालाल विजय) | श्रीमती सावित्री नागर, ग्राम इन्द्रापुरा, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर के पति श्री रामकिशन नागर के उपचार हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से राशि रू. 25,000/- का शीघ्र भुगतान किया जाना। | कलेक्टर श्योपुर को निर्देश दिये गये हैं। | विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1053 द्वारा श्री दुर्गालाल विजय सत्र फरवरी-मार्च 2017 के संबंध में कलेक्टर श्योपुर से पुन: अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें कलेक्टर श्योपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.06.2017 द्वारा स्पष्ट किया है कि "मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के आदेश क्रमांक 511 दिनांक 11.12.2015 के पालन में कलेक्टर श्योपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 25.02.2017 द्वारा राशि रूपये 25,000/- का भुगतान किया जा चुका है एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के आदेश क्रमांक 518 दिनांक 21.12.2015 का भुगतान उनके कार्यालय के आदेश दिनांक 01.01.2016 द्वारा हितग्राही को ई-भुगतान किया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-24/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (9) | **574** | तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.4544) दिनांक: 10/03/2017 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल) | कटनी जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के छात्र/छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु अवैध रूप से राशि वसूलने के दोषियों पर कार्यवाही की जाना। | (1) मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि इसका हम परीक्षण करा लेंगे और जो भी शेष प्रमाण पत्र बनने के लिये रह गये हैं उसको एक अभियान के तौर पर लेकर हम पूरा करा लेंगे।<br><br>(2) जो आपने बोला मैंने उस पर अपनी सहमति दी है। | कटनी जिले में विशेष अभियान चलाकर कुल 286959 जाति प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं।<br><br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-07/11/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | **575** | तारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.4830)<br>दिनांक: 10/03/2017<br>(श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा) | अशोकनगर शहर से लगे ग्राम पिपरई, हथईखेड़ा, भोसले का बाड़ा की बेशकीमती जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना। | जो निर्णय आ जाएगा, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। | अशोकनगर जिले के कस्बा अशोकनगर स्थित भोंसले का वाडा भूमि सर्वे क्रमांक 555 में से रकवा 6 बीघा सर्वे क्रमांक 558 में से रकवा 2 बीघा, सर्वे क्रमांक 572 में से 1 विश्वा के संबंध में प्रचलित माननीय राजस्व मंडल मोतीमहल ग्वालियर में विचाराधीन प्र.क. रिव्यू/10/दो -2017 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 से निगरानी प्रकरण 788-1/2015 आदेश दिनांक 14.03.2016 को निरस्त किया गया है। ग्राम पिपरई में नायब तहसीलदार के प्र.क. 18 अ 19/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2004 को आयुक्त ग्वालियर के प्र.क. 266/2007-08 में पारित आदेश दि.05.12.2008 से निगरानी निरस्त कर दी गई थी तथा राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा उनके न्यायालय के प्र.क. 22-11/2014 पारित आदेश दिनांक 19.05.2014 से निगरानी निरस्त कर दी गई थी जिसे माननीय राजस्व मंडल द्वारा पुर्नविलोकन में लेकर प्र.क. 4155-11/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 के द्वारा आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुये नायब तहसीलदार मुंगावली का आदेश यादवेन्द्र सिंह पुत्र देशराज सिंह के पक्ष में स्थिर रखा है। वर्तमान अभिलेख एवं कम्प्यूटर अभिलेख में भूमि शासकीय पठार दर्ज है। ग्राम अथाईखेडा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 696/2 रकवा 1.142 हैक्टर में से रकवा 0.209 हैक्टर को क्रेता राव अजय प्रताप सिंह पुत्र राव देशराज सिंह यादव ने विक्रेता राजेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य से क्रय किया था। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि 696/2 रकवा 1.142 हैक्टर भूमि को छोटे सिंह पुत्र दिमान सिंह जाति ठाकुर से क्रय की थी। उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मंडल के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2982-1/2015 मे पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 को माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर के प्र.क. पुर्नविलोकन-109-1/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 से निरस्त किया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-10/11/2017** | समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग प्रश्नांकित स्थानों की भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेशानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (11) | 576 | अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.3766) दिनांक: 10/03/2017 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) | कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला अशोकनगर में पदस्थ श्री महेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जाना। | सहकारिता विभाग में अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। | सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2017/15-2 दिनांक 09/05/2017 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, अशोक नगर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (12) | 577 | अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.5179) दिनांक: 10/03/2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी) | प्रदेश में मीसाबंदी व डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों से सम्मान निधि हेतु प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाना। | (1) 35 आवेदन लम्बित है।<br><br>(2) जिला स्तर पर लम्बित प्रकरणों के निराकरण हेतु मीसाबंदी समिति का गठन किया जा चुका है। प्रकियाधीन है। | मीसाबंदियों के आवेदनों का निराकरण एक सतत प्रक्रिया है। सभी 35 आवेदनों का परीक्षण कर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। उक्त आवेदनों के निराकरण हेतु राज्य शासन से माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उक्त समिति की अनुशंसा पर आवेदनों का निराकरण सतत रूप से किया जाता है। उक्त आवेदनों के निराकरण हेतु माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला रीवा से तिथि निर्धारित कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरणों की स्वीकृति सतत प्रक्रिया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-06/02/2018**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>मीसाबंदियों के लंबित 35 प्रकरणों में से 04 प्रकरण स्वीकृत हो गए थे तथा उन्हें सम्मान निधि प्राप्त है उनके द्वारा सम्मान निधि बढाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु निर्देशानुसार सम्मान निधि की निर्धारित राशि उन्हें पूर्व से प्राप्त होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। शेष 31 आवेदन पत्र पात्र न होने के कारण जिला स्तरीय समिति द्वारा अस्वीकृत किये गये है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-17/02/2020** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (13) | 775 | तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.6744) दिनांक: 24/03/2017 (श्री नारायण सिंह पँवार) | राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में आयोजित एन.एच.ए.ई. के फोरलेन भूमि पूजन कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय अन्त्योदय मेले के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर कार्यान्वयन किया जाना। | जल्दी से जल्दी उन पर कार्यवाही होकर के उसका निष्पादन हो जायेगा। | माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-<br>**1) लोक निर्माण विभाग- घोषणा क्रमांक बी 3270 -** सुठालिया से उकावद मार्ग में पार्वती नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 13/04/17 एवं 15/06/17 को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया गया।<br>**2) उच्च शिक्षा विभाग-घोषणा क्रमांक बी 3271** - राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में आयोजित एन.एच.ए.ई. के फोरलेन भूमि पूजन कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय अन्त्योदय मेले के कार्यक्रम में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में सुठालिया नगर में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-23-1/2016/38-2 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।<br>**3) राजस्व विभाग- घोषणा क्रमांक बी 3272 -** टप्पा सुठालिया जिला राजगढ़ को तहसील का दर्जा प्रदान किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1-2/2017/ सात-6 दिनांक 28/09/2018 द्वारा ओदश जारी किये जा चुके है।<br>**घोषणा क्रमांक बी 3274**- अस्थाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सब डिवीजन ब्यावरा को स्थाई किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1-8/2018/सात-6 दिनांक 30/07/2018 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है।<br>**4) नगरीय विकास एवं आवास विभाग- घोषणा क्रमांक बी 3273 बी 3276 एवं बी 3277-** ब्यावरा नगर में आडिटोरियम हॉल निर्माण हेतु रूपये 180.00 लाख प्राप्त होकर कार्य प्रगति पर है। नगर पालिका ब्यावरा में विकास कार्य के विरूद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है एवं नगर परिषद सुठालिया | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | में विकास कार्यो के लिए राशि रूपये 250.00 लाख प्राप्त होकर निविदा आमंत्रित की गई है। स्वीकृति हेतु परिषद की आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।<br>**5) परिवहन विभाग घोषणा क्रमांक बी-3275-** ब्यावरा (राजगढ़) में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी राजगढ़ (ब्यावरा) की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायालय कलेक्टर राजगढ़ के आदेश क्रमांक 236/अ 59/2016-17 दिनांक 10.08.2017 एवं आदेश क्रमांक 242 दिनांक 25.09.17 एवं आदेश क्रमांक 108 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार ग्राम चाठा स्थित शासकीय चारागाह भूमि सर्वे क्रमांक 4/1/2 रकबा 8.571 हैक्टेयर में से रकबा 4.000 हैक्टेयर भूमि म.प्र.भू.रा.सं 1959 की धारा 237 के तहत चरनोई मद से परिवर्तित की जाकर मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग भोपाल को ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल हेतु सुरक्षित की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/12/2021** | |
| (14) | 776 | अतारांकित प्रश्न सं.56<br>(प्रश्न क्रं.5647)<br>दिनांक: 24/03/2017<br>(श्री सूबेदार सिंह रजौधा) | विधानसभा क्षेत्र जौरा में वर्ष 2015-16, 2016-17 में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाना। | लंबित शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | जनसुनवाई के दौरान 1228 शिकायते प्राप्त हुई थी। सभी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (15) | 777 | अतारांकित प्रश्न सं.100<br>(प्रश्न क्रं.6649)<br>दिनांक: 24/03/2017<br>(श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा)) | सत्र न्यायालय धार अन्तर्गत शासन की बिना अनुमति के पद का दुरूपयोग कर अपील विड्राल करने संबंधी तत्कालीन लोक अभियोजक के विरूद्ध संस्थित जांच शीघ्र पूर्ण की जाना। | जी हाँ। ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रारंभिक जाँच क्रमांक 30/16 दिनांक 23/07/2016 को पंजीबद्ध की गयी है। | प्रकोष्ठ में प्रारंभिक जांच क्रमांक 30/16 दर्ज होकर जांचाधीन है। वर्तमान में जांच गतिशील है। जांच में पाये गये साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-31/08/2017** | समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही की जायेगी। |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | 71 | तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1225) दिनांक: 23/02/2017 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख) | मुलताई विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के शेष प्रकरणों पर धारा 34 के अनुसार कार्यवाही की जाना। | शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। | जिला बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र में शेष रहे 205 प्रकरणों में से 47 प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित कर रुपये 60,900/- का जुर्माना लगाया गया है। 02 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। 01 प्रकरण में आरोपी की मृत्यु होने स प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। 155 प्रकरण अज्ञात होने से धारा 55 (3) के अंतर्गत निराकृत कर नस्तीबद्ध किये गये है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-04/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | 72 | तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.987) दिनांक: 23/02/2017 (डॉ. मोहन यादव) | माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गरीबों के आवास पंजीयन एवं किसानों के भूमि बंधन विलेख बनाने में पंजीयन शुल्क में छूट दिए जाने के प्रावधानों का परिपालन किया जाना। | उन्होंने प्रश्न पूछा है उसका हम समाधान करा लेंगे। | म.प्र.शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 588 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में दी गई छूट तथा कमी की सूची के अंतर्गत गरीबों के आवास पंजीयन एवं किसानों के भूमि बंधक विलेख बनाने में पंजीयन शुल्क में छूट के प्रावधान दिये गये है जिनका पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त विभागीय अधिकारियों को महानिरीक्षक पंजीयन के पत्र क्रमांक 92/कम्प्यूटर/2017 दिनांक 02 जून 2017 द्वारा लिखा गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-04/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 73 | तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.433) दिनांक: 23/02/2017 (श्री कालुसिंह ठाकुर) | जिला धार में उप पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय में विक्रय विलेख दस्तावेज क्रमांक-ए, वन ग्रन्थ 6272, क्रमांक 1614 दिनांक 17.06.2009 में आर्थिक अपराध संबंधी शिकायत की जांच हेतु समिति का गठन शीघ्र किया जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | (1) कलेक्टर धार द्वारा शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।<br><br>(2) शिकायत की जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर यथाशीघ्र शिकायत का निराकरण कर दिया जावेगा। | 1- आवेदक अमरदीप सोलंकी निवासी धार की शिकायत धार जिले में तहसील धार स्थित भूमि ग्राम मगजपुरा सर्वे क्रमांक-29 के विक्रय विलेख दस्तावेज ए वन ग्रंथ 6272 क्रमांक 1614 दिनांक 17/06/2009 के निष्पादन बिन्दु अधिसूचित क्षेत्र में कृषि भिन्न प्रयोजन में परिवर्तित भूमि गैर आदिवासी से गैर आदिवासी को विक्रय/अंतरण किये जाने के पूर्व भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6क) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति न ली जाना अधिनियम 1961 की धारा 339(क)(ख) व उसके अंतर्गत निर्मित (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन एवं शर्तें) नियम 1988 के तहत कालोनी लायसेंस विकास कार्य की अनुमति न ली जाना नगरपालिका अधिनियम की धारा 339(घ) के उल्लघंन में एक ही भूमि को खण्ड-खण्ड में 35 भू-खण्डों की अलग-अलग निर्माण की अनुमति देना स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की राजस्व आय की हानि पहुंचाना आदि से संबंधित प्राप्त हुई।<br>2- कलेक्टर, धार द्वारा शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार से समिति गठित कर कराई गई। प्रतिवेदन अनुसार भू-राजस्व संहिता की धारा 165(65क) नगरीय क्षेत्र में प्रभावशील होने से संबंध में म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। मार्गदर्शन अनुसार उक्त धाराएं दिनांक 15/04/1981 से प्रभावशील होकर अनुसूचित क्षेत्र में (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र) बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा 165(6क) का प्रावधान पूर्ण रूप से अधिसूचित ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लागू होगा। जांच समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन भूमि को लेकर जो भी संव्यवहार हुआ है उसमें विधि के किसी प्रावधान का उल्लघंन होना प्रथम दृष्टया नहीं | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पाया गया है। कलेक्टर, धार द्वारा प्रतिवेदन एवं प्राप्त किये गये अभिमत अनुसार वरिष्ठ जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) जिला धार एवं समस्त उप पंजीयक जिला धार को निर्देश जारी किये गये।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 31/10/2017** | |
| (4) | **74** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.58<br>(प्रश्न क्रं.1018)<br>दिनांक: 23/02/2017<br>(श्री दुर्गालाल विजय) | श्योपुर में वाणिज्यिक कर कार्यालय की स्थापना शीघ्र की जाना। | (1) श्योपुर में वृत्त कार्यालय के गठन संबंधी अधिसूचना प्रचलित होना प्रक्रियाधीन है।<br><br>(2) कार्यालय के गठन संबंधी अधिसूचना प्रचलित होना प्रक्रियाधीन है। | मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्योपुर वृत्त कार्यालय गठन की अधिसूचना क्रमांक एफ ए3-04/2017/1/पांच (8) दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा म0प्र0 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-07/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) | 774 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्र.3723) दिनांक: 24/03/2017 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)) | इंदौर संभाग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार। शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित किया जाना। | आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है | **इन्दौर**- माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित आदेश के पालन में इन्दौर जिले में वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर से कम दूरी पर संचालित देशी/विदेशी मदिरा की 40 दुकानों को दिनांक 01.04.2017 से जिला समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये निष्पादन के पूर्व देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की सीमा को परिवर्तित कर राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालन करने हेतु सीमा निर्धारित की गई है। अतः वर्तमान में जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों के लायसेंसियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का पालन किया जा रहा है।<br>**धार** - माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा दिये गये आदेशानुसार धार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग पर स्थित कुल 46 मदिरा दकानों को दिनांक 01.04.2017 से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से 500 मीटर की दूर आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित किया जा चुका है। इन्दौर संभाग के झाबुआ जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2017 के परिपालन में 15 देशी एवं 18 विदेशी मदिरा की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से निर्देशित 500 मीटर से अधिक दूरी एवं आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित किया जा चुका है।<br>**अलीराजपुर** - माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के पालन में अलीराजपुर जिले में स्थित 03 देशी मदिरा दुकानें एवं 04 विदेशी मदिरा दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर दिनांक 01.04.2017 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | से आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित होकर संचालित हो रही है।<br>इन्दौर संभाग के बड़वानी जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2017 के परिपालन में 14 देशी 14 विदेशी मदिरा की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से निर्देशित 500 मीटर से अधिक दूरी एवं आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित किया जा चुका है।<br>इन्दौर संभाग के खरगौन जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2017 के परिपालन में 28 देशी एवं 12 विदेशी मदिरा दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से निर्देशित 500 मीटर से अधिक दूरी एवं आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित किया जा चुका है। परन्तु कुछ दुकानों में जन आपत्ति होने के कारण नियमानुसार संबंधित दुकानों में कार्यवाही की जा रही है।<br><u>**खण्डवा**</u> - वर्तमान वर्ष 2017-18 में खण्डवा जिलें में स्थित समस्त मदिरा दुकानें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं म.प्र. राजपत्र क्र. 73 दिनांक 10.01.2017 से घोषित आबकारी नीति में दिये गये निर्देश एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत सामान्य प्रयुक्ति नियम के अनुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित की जाकर संचालित की जा रही है।<br>बुरहानपुर जिला वर्ष 2016-17 में राजकीय राजमार्ग पर 08 विदेशी एवं 09 देशी मदिरा दुकानें संचालित हो रही थी। माह अप्रैल 2017 से बुरहानपुर जिले में संचालित 08 विदेशी मदिरा दुकान एवं 09 देशी मदिरा दुकानों को राज्य | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | राजमार्ग से हटाया गया है। इन्ही दुकानों में से देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान शनवारा जनविरोध एवं जनआक्रोश के कारण स्थापित/संचालित नही होने से राजमार्ग से 125 मीटर की दूरी पर संचालित की जा रही है। जिसे उक्त स्थान से हटाने हेतु जिला कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।<br><br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-\| 04/07/2017**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>1. खरगौन जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा की 44 दुकानें वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्ग पर संचालित थी ।<br>2. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 के परिपालन में 44 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में से 4 दुकानें क्रमशः सूची में उल्लेखित अनुक्रमांक 29 पर दर्ज विदेशी मदिरा दुकान महेश्वर, अ.क्र. 30 पर दर्ज देशी मदिरा दुकान मण्डलेश्वर, अ.क्र. 31 पर विदेशी मदिरा दुकान महेश्वर, अ.क्र. 32 पर दर्ज विदेशी मदिरा दुकान मण्डलेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारों पर बसे शहरों में दुकानें स्थित होने से दिनांक 01.04.2017 से बंद कर दी गई है।<br>अतः शेष समस्त 40 मदिरा दुकानें जिला समिति द्वारा अनुमोदित नवीन स्थल पर दिनांक 01.04.2017 से राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्ग से 500 मीटर की अधिक दूरी पर संचालित करवा दी गई थी।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/02/2020** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | <u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>जिला आबकारी अधिकारी, जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/आब./वि.स./2021-22/1739 दि. 24.08.2021 के अनुसार बुरहानपुर जिले में वर्ष 2016-17 में राजकीय राजमार्गों पर 8 अंग्रेजी एवं 9 देशी मदिरा दुकानें संचालित हो रही थी । माह अप्रैल 2017 से बुरहानपुर जिले में संचालित 8 विदेशी मदिरा दुकानें एवं 9 देशी मदिरा दुकानों का राज्य राजमार्ग से हटाया गया है । उक्त दुकानों में से देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सनवारा को संबंधित लायसेंसी द्वारा राज्य राजमार्ग से 127 मीटर दूरी पर आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित कर लिया गया था, जिस पर से उक्त दुकान को आपत्तिजनक स्थल से हटाकर आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी, बुरहानपुर के द्वारा लायसेंसी को सूचना पत्र क्रमांक 1413 दिनांक 31.05.2017 जारी किया गया था । उक्त सूचना पत्र के पालन में दिनांक 20.06.2017 को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त मदिरा दुकानों को राज्य राजमार्ग से हटाकर नवीन आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित कर लिया गया ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 31/01/2022** | |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | 59 | तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.602) दिनांक: 23/02/2017 (श्रीमती प्रतिभा सिंह) | जबलपुर जिले में स्वीकृत बरबटी उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत ठेकेदार द्वारा यथा समय कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को अंतिम नोटिस दिया जाना व एक वर्ष की समयावधि में योजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना। | (1) जो भी प्रक्रियाधीन कार्यवाही होगी वह करेंगे।<br><br>(2) उसको अंतिम नोटिस देकर कि आप कार्य प्रारंभ कर दे।<br><br>(3) हम अंतिम नोटिस उसको शीघ्र जारी कर रहे हैं और यदि वह कार्य प्रारंभ नहीं करेगा तो मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि उसको टर्मीनेट कर दूंगा।<br><br>(4) हम उसको अंतिम नोटिस एक महीने के अंदर दे रहे हैं यदि उन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे.<br><br>(5) एक महीने के अंदर नोटिस देंगे और उनसे शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के लिये कहेंगे और यदि नहीं होगा तो एक साल तो बहुत दूर हम तो और जल्दी कर देंगे. | ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलन में है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-23/06/2017**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br><br>अनुबंध भाग II की कंडिका 92 के प्रावधानुसार अनुबंध दिनांक 30/06/2017 को विखंडित (Terminate) कर दिया गया है। नवीन निविदा आमंत्रित की जा रही है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-26/09/2017**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br><br>अनुबंध भाग-II की कंडिका 92 के प्रावधानुसार बरबटी लिंक सिंचाई योजना को दिनांक 30/06/2017 को विखंडित (Terminate) कर दिया गया है। बरबटी लिंक सिंचाई योजना की संशोधित योजना रानी दुर्गावती माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की रूपये 20.54 करोड़ की निविदा दिनांक 17/05/2018 को अमांत्रित कर दी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-19/06/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | **60** | तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1166) दिनांक: 23/02/2017 (कुँवर सौरभ सिंह) | विधान सभा सत्र दिसम्बर, 2016 के अतारांकित प्रश्न संख्या 100 (क्रं. 1296), दिनांक 06.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के खातों में प्रोव्हीडेन्ट फण्ड की राशि यथाशीघ्र जमा कराई जाना। | (1) हम यथाशीघ्र कर्मचारियों के बैंक खातों की सूची को एकत्रित कर राशि उनके खातों में जमा करवा देंगे।<br><br>(2) हमने उनसे आग्रह भी किया है और हमारी कोशिश है कि तत्काल राशि एक माह में मजदूरों के खाते में जमा करा दें।<br><br>(3) एक महीने के अंदर पी.एफ. की राशि उनके खाते में जमा हो जाए इसके लिए हम उनके सारे नंबर एकत्रित कर रहे हैं उनके खाते में जमा होगी। | (1) पी.एफ. की राशि रूपये 7893235.00, पी.एफ. कार्यालय में जमा करा दी गई है।<br>(2) कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड ने दिनांक 10/03/2017 को राशि रूपये 1049165.00 एवं दिनांक 15/03/2017 को राशि रूपये 6844070.00 पी.एफ. कार्यालय में जमा करा दी गई है इस प्रकार एक माह की अवधि के अंदर राशि जमा कर दी गई है।<br>(3) पी.एफ.की राशि पी.एफ कार्यालय में जमा करा दी गई है पी.एफ.कार्यालय द्वारा संबंधित के खाते में अंतरण की कार्यवाही की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-16/05/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (3) | **61** | अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.1228) दिनांक: 23/02/2017 (श्री कालुसिंह ठाकुर) | ओंकारेश्वर नहर परियोजना से विधान सभा क्षेत्र धरमपुरी के शेष बचे 50 ग्रामों में रबी फसल वर्ष 2018 में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना। | इन ग्रामों में वर्ष 2018 में रबी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। | वर्तमान में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन ग्रामों में वर्ष 2018 में रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जा रहा है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-23/05/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (4) | **301** | तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.2392) दिनांक: 03/03/2017 (श्री ठाकुरदास नागवंशी) | दुधी सिंचाई परियोजना बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद की डी.पी.आर. समय-सीमा में तैयार कर निविदा जारी की जाना। | 6 महीने के अंदर यह डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी जाएगी। | डी.पी.आर. (राशि रूपये 1546.24 करोड़) तैयार कर मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर के पत्र क्रमांक 8008/3/कार्य-2/2010 दिनांक 26/05/2017 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली भेज दी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-29/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) | **302** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.88) दिनांक: 03/03/2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी) | पनागर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदना एवं बिलगवां नहरों की मेढ़ों पर मुरमीकरण कार्य शीघ्र कराया जाना। | वहां कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। | मदना एवं बिलगंवा नहर के सर्विस बैंक आम रास्ता नहीं है इसका उपयोग विभागीय निरीक्षण हेतु किया जाता है। मदना वितरण नहर की 22.80 कि.मी. लंबाई में से सर्विस बैंक में आर.डी. 150 मी. से 19800 मी. के मध्य विभिन्न भागों में कुल 4750 मीटर लंबाई में तथा बिलगंवा वितरण नहर की 9.40 कि.मी. लंबाई में से सर्विस बैंक में आर.डी. 1500 मी. से 8000 मी. के मध्य विभिन्न भागों में कुल 3400 मीटर लंबाई में गढ्ढे भरवाये जाने का कार्य वर्षा उपरांत दिनांक 31/10/2017 तक पूर्ण किया जावेगा।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-10/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (6) | **304** | अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.89) दिनांक: 03/03/2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी) | बरगी बांध की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्टाफ की तैनाती की जाना। | जी हां। | वर्तमान में बरगी बांध की सुरक्षा में 11 विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक एवं 51 विभागीय कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बरगी बांध की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिये निर्धारित मापदंडो के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-10/07/2017**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>''जी'' कंपनी विशेष सशस्त्र बल इन्दौर में से उपलब्ध एक-चार की गार्ड बरगी बांध की सुरक्षा हेतु दिनांक 07/04/2018 को उपलब्ध कराई गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-04/08/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | **561** | तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.1320) दिनांक: 10/03/2017 (श्री राजकुमार मेव) | खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति ग्रामों को ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों से सिंचाई सुविधा दी जाना। | हम उसको दिखवा लेंगे। | माननीय विधायक श्री राजकुमार मेव द्वारा बडवाह तहसील के 11 ग्रामों एवं महेश्वर तहसील के 6 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माँग की गई है उसका परीक्षण किया गया तथा परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों में वर्तमान में निर्मित कमाँड की सिंचाई के पश्चात अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल शेष नही है जिनसे इन ग्रामों में सिंचाई की जा सके। अत: प्रश्नाधीन ग्रामों को ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों से सिंचाई सुविधा दिया जाना संभव नहीं है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-23/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (8) | **762** | तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.7102) दिनांक: 24/03/2017 (श्री बाला बच्चन) | बड़वानी जिले में कृषकों के खेतों में इंदिरा सागर परियोजना से पानी रिलीज किया जाना। | (1) परीक्षण करा लेंगे।<br><br>(2) <u>**आसंदी से निर्देश**</u> :- उसका परीक्षण करवा रहे हैं।<br><br>(3) उसका परीक्षण करवा लेंगे. जैसी जो भी सबसे सकारात्मक स्थिति बनेगी, उसका पालन किया जाएगा। | बडवानी जिले के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 155.00 कि.मी. से 243.895 कि.मी. तक निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2016-17 में रबी सीजन में कुल 29230 हेक्टेयर में सिंचाई की गई है। वर्तमान में बड़वानी जिले को मुख्य नहर की आर.डी. 155.00 कि.मी. पर दिनांक 31/05/2017 से अंतिम छोर तक एवं माईनर तथा सब माईनर नहरों में जल प्रवाहित किया जा रहा है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-21/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **339** | तारांकित प्रश्न सं. 7 (प्रश्न क्रं. 148) दिनांक: 06/03/2017 (श्रीमती सरस्वती सिंह) | सिंगरौली जिले के विकासखण्ड चितरंगी में आई.टी.आई. महाविद्यालय खोला जाना । | आगामी योजना में हम इसको प्राथमिकता पर जोड़ कर आईटीआई खुलवा देंगे । | विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में आई.टी.आई. खोलने की है। अत: नीति अनुसार आई.टी.आई. नहीं खोली जा सकती है ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-13/02/2019**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>विभाग द्वारा 29 नवीन आई.टी.आई. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विकासखण्ड चितरंगी सम्मिलित था। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार 29 में से 11 नवीन आई.टी.आई. स्वीकृत की गई। वर्तमान में 104 विकासखण्ड ऐसे है जिनमें शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। इन विकासखण्डों में विभिन्न चरणों में खोले जाने वाले आई.टी.आई. की संख्या का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण में कुल 42 संस्थाओं के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसमें विकासखण्ड चितरंगी, जिला-सिंगरौली भी सम्मिलित है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 13/12/2019**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>विकासखण्ड चितरंगी, जिला सिंगरौली में नवीन आईटीआई की स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ 15-23/2020/42-2, दि.09.08.2021 द्वारा जारी की गयी है ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-12/08/2021** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अद्यतन जानकारी :-<br>विकासखण्ड चितरंगी, जिला-सिंगरौली में नवीन आईटीआई की स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ 15-23/2020/42-2, दिनांक 09.08.2021 द्वारा जारी की गयी है। वर्ष 2021 से शासकीय आईटीआई संस्था, चितरंगी में विघुतकार व्यवसाय में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 20 है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-29/03/2022** | |
| (2) | **340** | तारांकित प्रश्न सं. 13 (प्रश्न क्रं. 97) दिनांक: 06/03/2017 (श्री सुशील कुमार तिवारी) | केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना के तहत दृष्टिहीनों को यथाशीघ्र कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था कराई जाना। | हम शीघ्रातिशीघ्र यह व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं। | संचालनालय पत्र क्रं 2628 दिनांक 05.06.2017 द्वारा 238 नि-शक्तजन प्रशिक्षणार्थियों को लेपटाप देने के लिये राशि रूपये 39046/- प्रति नग के मान से क्रय आदेश जारी किये गये। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-22/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (3) | **597** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 149 (प्रश्न क्रं. 6278) दिनांक: 20/03/2017 (श्री शैलेन्द्र पटेल) | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाकर उपाधि वितरण में विलंब किए जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कुल सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) प्रकरण को लंबित रखे जाने की जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।<br>(2) जांच निष्कर्ष के आधार पर अविलंब कार्यवाही की जायेगी।<br>(3) जी हां। कार्यमुक्त की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। | विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/2017/42-1, दिनांक 24-02-2018 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई है एवं विभागीय आदेश दिनांक 25-01-2019 के द्वारा कुलसचिव, रागांप्रौवि, भोपाल को कार्यमुक्त किया जा चुका है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-09/02/2019** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | **598** | अतारांकित प्रश्न सं. 118 (प्रश्न क्रं. 5718) दिनांक: 20/03/2017 (श्री शैलेन्द्र जैन) | सागर जिले के इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विभिन्न मदों में आवंटित राशि का यथासमय उपयोग न किए जाने से राशि के व्यपगत हो जाने की जांच/ निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | जी हां। जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 60,75,978/- समर्पित की गई थी, जिसमें राशि रूपये 77,800/- योजनाओ तथा अन्य राशि वेतन से संबंधित थी। वर्ष 2015-16 में कुल रूपये 6,65,839/- की राशि समर्पित की गई। जिनमें से रूपये 5,00,000/- की राशि एस.सी/एस.टी स्टेशनरी से संबंधित है। क्रय हेतु आवंटन आदेश जारी किये गये थे, किन्तु क्रय की गई कुछ सामग्री की गुणवत्ता पूर्ण न होने के कारण वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई भी राशि समर्पित नहीं की गई है। आवंटन जारी करना, व्यय करना तथा समर्पण करना निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया है। समर्पित की गई राशि परिस्थितिजन्य है। अतएव कोई दोषी नहीं है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (5) | **599** | अतारांकित प्रश्न सं. 154 (प्रश्न क्रं. 6251) दिनांक: 20/03/2017 (श्री आरिफ अकील) | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को मार्कशीट/ माईग्रेशन/ प्रोविजनल डिग्री यथासमय उपलब्ध न कराने के दोषियों की जांच/ निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | जी हां। | विभागीय पत्र दिनांक 23.12.2017 के द्वारा दोषी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/02/2018**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>जांच प्रतिवेदन एवं लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/ 2017/42-1, दिनाकं 02.06.2020 के द्वारा श्री एस.के. जैन, तत्कालीन कुलसचिव, रागाप्रौवि, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रेदश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 10 के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/06/2020** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | **600** | अतारांकित प्रश्न सं. 184 (प्रश्न क्रं. 6484) दिनांक: 20/03/2017 (श्री केदारनाथ शुक्ल) | भोपाल शहर स्थित सागर इंस्ट्रीट्यूट ऑफ रिसर्च, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस के छात्रों से अनुचित तरीके से द्वितीय व तृतीय वर्ष का शुल्क नियम विरूद्ध जमा कराने की जांच व निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना । | जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । | जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार संस्था द्वारा छात्र श्री विक्रम सिंह को पंचम सेमेस्टर (तुतीय वर्ग) में प्रावधिक प्रवेश दिया जाकर शैक्षणिक शुल्क रूपये 39000/- प्राप्त किया गया। छात्र का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सीजीपीए 5 से कम होने के कारण तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता (रागांप्रोवि के नियमानुसार) न बनने के कारण प्रवेश निरस्त किया गया। छात्र द्वारा आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण प्राप्त की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि वापस नहीं की गई। छात्र द्वारा प्रावधिक प्रवेश के समय जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि एचडीएफसी बैंक के चैक क्रमांक 000644 रूपये 39000/- दि.10.07.2017 के द्वारा वापस कर दी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (7) | **787** | तारांकित प्रश्न सं. 9 (प्रश्न क्रं. 7208) दिनांक: 27/03/2017 (श्री रमेश पटेल) | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को समय-सीमा में डिग्रीयां वितरण नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना । | (1) जाँच प्रचलन में है । जाँच उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा ।<br><br>(2) जाँच के निष्कर्ष के आधार पर जवाबदेही तय की जावेगी एवं तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।<br><br>(3) कार्यमुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । जांच उपरांत कार्यवाही की जायेगी । | विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/2017/42-1, दिनांक 24-02-2018 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई है एवं विभागीय आदेश दिनांक 25-01-2019 के द्वारा कुलसचिव, रागांप्रौवि, भोपाल को कार्यमुक्त किया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-09/02/2019** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | **788** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 26 (प्रश्न क्रं. 3928) दिनांक: 27/03/2017 (श्री शैलेन्द्र जैन) | इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सागर के कारपस फण्ड की डिपॉजिट राशि की एफ.डी.आर. विलंब से लिये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना । | जी हां । जांच कर कार्यवाही की जावेगी । | शासन द्वारा डॉ. एच.के. मिश्रा, तत्कालीन प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर को दिनांक 17-01-2019 को आरोप पत्रादि जारी कर दिये गये है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-12/02/2019**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>शासन द्वारा डॉ.एच.के. मिश्रा, तत्कालीन प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर के विरूद्ध नियमित विभागीय जाँच संस्थित किये जाने का निर्णय दिनांक 26/06/2020 को लिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-04/07/2020**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>डॉ. एच.के. मिश्रा तत्कालीन प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जाँच प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर कार्य के प्रति लापरवाही के लिये विभागीय आदेश क्र. एफ 1-01/2019/42-1 दिनांक 08/01/2021 द्वारा सचेत किया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-05/02/2021** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | **789** | अतारांकित प्रश्न सं. 87 (प्रश्न क्रं. 6519) दिनांक: 27/03/2017 (श्री रामनिवास रावत) | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को समय-सीमा में डिग्रीयां वितरण नहीं किये जाने तथा कन्टेनर/लिफाफे का टेण्डर समय पर नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है। जाँच निष्कर्ष के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। | विभागीय पत्र दिनांक 23.12.2017 के द्वारा दोषी श्री एस.के. जैन कुल सचिव, राजीव गॉंधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/02/2018**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/2017/42-1, दिनांक 24/02/18 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/02/2019**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>जांच प्रतिवेदन एवं लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/2017/42-1, दि.02.06.2020 के द्वारा श्री एस.के. जैन, तत्कालीन कुलसचिव, रागाप्रौवि, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रेदश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 10 के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/06/2020** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (10) | **790** | अतारांकित प्रश्न सं. 160 (प्रश्न क्रं. 7408) दिनांक: 27/03/2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी) | सिवनी जिले के शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना। | प्राप्त शिकायत जाँच अधीन है। | प्राचार्य, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, सिवनी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें जाँच अनुसार निराधार पायी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (11) | **791** | अतारांकित प्रश्न सं. 186<br>(प्रश्न क्रं. 7658)<br>दिनांक: 27/03/2017<br>(श्री सचिन यादव) | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलसचिव डॉ. एस.के.जैन को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पश्चात् प्राप्त प्रति उत्तर के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच के निष्कर्ष अनुसार निर्णय लिया जायेगा। | विभागीय पत्र दिनांक 23.12.2017 के द्वारा दोषी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच संस्थित की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-24/07/2018**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>जांच प्रतिवेदन एवं लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-16/2017/42-1, दि.02.06.2020 के द्वारा श्री एस.के. जैन, तत्कालीन कुलसचिव, रागाप्रौवि, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रेदश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 10 के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/06/2020** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **378** | अतारांकित प्रश्न सं. 136 (प्रश्न क्रं. 4133) दिनांक: 06/03/2017 (श्री गोविन्द सिंह पटेल) | म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल मुख्यालय भोपाल में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना एवं भविष्य निधि योजना का लाभ दिया जाना। | मण्डल के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। | 1. म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल मुख्यालय भोपाल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने सम्बन्धी शासन द्वारा गठित समिति द्वारा मण्डल के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही निरंतरित है।<br>2. म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल मुख्यालय भोपाल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में वर्तमान में मण्डल का पुनर्गठन नहीं है। मण्डल का पुनर्गठन होने पर भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में मण्डल की बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ रखा जावेगा।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-31/05/2017**<br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>1. म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल मुख्यालय भोपाल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने सम्बन्धी शासन द्वारा गठित समिति द्वारा मण्डल के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही निरंतरित है।<br>2. म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल मुख्यालय भोपाल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में वर्तमान में मण्डल का पुनर्गठन नहीं है। मण्डल का पुनर्गठन होने पर भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में मण्डल की बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ रखा जावेगा।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-01/09/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | <u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>नीतिगत निर्णय मण्डल द्वारा लिये जाते है, किन्तु वर्तमान में पुनर्गठन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में श्रम कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल का पुनर्गठन होने के पश्चात प्रस्ताव मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु रखा जावेगा। तदानुसार नियमानुसार नियमतीकरण की कार्यवाही की जावेगी ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-19/06/2018**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के आदेश दिनॉक 20/12/2018 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 52/2013/1/3 भोपाल दिनॉक 07 अक्टूबर 2016 में अंकित निर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थायी कर्मियों" को विनियमित करने के योजना का लाभ प्रदाय करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनॉक 08/09/2018 से स्वीकृत किया गया ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-26/04/2019** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | **621** | तारांकित प्रश्न सं. 14 (प्रश्न क्रं. 3562) दिनांक: 20/03/2017 (डॉ. रामकिशोर दोगने) | हरदा जिलान्तर्गत श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बाल श्रम व बाल शोषण रोकने की असत्य जानकारी देने के दोषियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | (1) हम भी कार्यवाही करेंगे।<br><br>(2) पहले उन्हें जांच तो कर लेने दें। | 1. हरदा जिले में श्रम विभागीय अमले द्वारा बाल श्रम एवं बाल शोषण को रोकने के लिये नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही है जैसा कि मूल प्रश्न की जानकारी में भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नांकित अवधि में जिले में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कुल 314 निरीक्षण किये गये थे तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर 86 प्रकरणों मे न्यायालय में अभियोजन दायर किये गये थे जिनमें से 52 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा रूपये 1,10,500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है।<br>2. जहां तक असत्य जानकारी का प्रश्न है इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 06.06.2016 को हरदा रेल्वे स्टेशन पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा बच्चों को मुबंई में काम दिलाने का लालच देकर पंजाब मेल द्वारा ले जाने संबंधी दुर्व्यापार (टेफिकिंग) करने की सूचना पर पुलिस द्वारा जांच कर प्रकरण में दो व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 370 के अंतर्गत न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2017 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया है चूंकि यह कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई थी। अतः इसकी जानकारी श्रम विभाग को नहीं होने से इसका उल्लेख प्रश्न के उत्तर में नहीं किया गया था। तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से अधिक होने से वे बाल श्रमिक नहीं थे। अतः असत्य जानकारी एवं इस आधार पर दोषियों पर कार्यवाही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-17/11/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **812** | अतारांकित प्रश्न सं. 50 (प्रश्न क्रं. 5719) दिनांक: 27/03/2017 (श्री शैलेन्द्र जैन) | सागर संभागीय कार्यालय में स्वीकृत श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना। | श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रचलित है। | म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा विभाग के श्रम निरीक्षक एवं अन्य विभागों के समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 माह जनवरी 2017 में आयोजित की गई तथा परीक्षा परीणाम माह अप्रैल 2017 में घोषित किये गये है। पीईबी से श्रम निरीक्षक पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय को प्राप्त हुई है। पीईबी के निर्देशानुसार नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति हेतु नियमानुसार पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जा सकेगी।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-16/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | **813** | अतारांकित प्रश्न सं. 127<br>(प्रश्न क्रं. 7269)<br>दिनांक: 27/03/2017<br>(श्री यादवेन्द्र सिंह) | श्री एस.एस. दीक्षित, डिप्टी कमिश्नर श्रम भोपाल को अतिरिक्त पदों से मुक्त किया जाना। | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | विभाग के आदेश क्रमांक 1635/335/2017/ए-16, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री एस.एस.दीक्षित, उप श्रमायुक्त, भोपाल को उप श्रमायुक्त कार्यालय, श्रमायुक्त, इंदौर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है एवं वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक उप श्रमायुक्त, भोपाल एवं सचिव, म.प्र. ग्रामीण/शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा गया है एवं श्री एल.पी. पाठक, उप श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इंदौर को सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल एवं कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-30/12/2017**<br>**अद्यतन जानकारी :-**<br>विभाग के आदेश क्रमांक 1635/335/2017/ए-16 दिनांक 22/12/2017 द्वारा श्री एस.एस.दीक्षित, उप श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर के पद पर पदस्थ किया किया गया है एवं वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक उप श्रमायुक्त भोपाल एवं सचिव मध्य प्रदेश ग्रामीण/शहरी अंसठित कर्मकार कल्याण मंडल का प्रभार सौंपा गया है एवं श्री एल.पी.पाठक उप श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायक्त इन्दौर को सचिव मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल एवं कल्याण आयुक्त मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में विभाग में उप श्रमायुक्त स्तर के केवल 02 अधिकारी पदस्थ है। उप श्रमायुक्त से निम्न स्तर के अधिकारी को उक्त पद का कार्य सौपा जाना संभव नहीं है। अतः तत्कालीन माननीय श्रम मंत्रीजी के निर्देशानुसार श्री एस.एस. दीक्षित, उप श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर को उप श्रमायुक्त भोपाल एवं सचिव मध्यप्रदेश ग्रामीण/शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसख्यंक कल्याण विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **78** | अतारांकित प्रश्न सं. 39 (प्रश्न क्रं. 3168) दिनांक: 17/03/2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह) पटलित दिनांक: 23/02/2017 | रीवा संभाग एवं सतना जिले में पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 57 से कोटवार जाति को विलोपित किया जाना। | परीक्षण की कार्यवाही अभी प्रचलन में है। | प्रकरण में परीक्षण की कार्यवाही पिछड़ा वर्ग आयोग स्तर पर प्रचलन में है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-08/02/2019**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>कोटवार जाति को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 6-2/2017/54-1 दिनांक 22.08.2019 द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 57 से विलोपित किया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 14/12/2021** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **198** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 151 (प्रश्न क्रं. 3142) दिनांक: 01/03/2017 (कुमारी निर्मला भूरिया) | झाबुआ जिले में कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना। | कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। | योजना नियमों में 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट देने का प्रावधान है। झाबुआ जिले में संबंधित प्रशिक्षण संस्था द्वारा 30 प्रशिक्षणार्थी में से नियमानुसार 21 का प्लेसमेंट संस्था द्वारा कराया गया। जो नियमानुकूल है। प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | **445** | तारांकित प्रश्न सं. 7 (प्रश्न क्रं. 4439) दिनांक: 08/03/2017 (श्री आरिफ अकील) | मण्डला जिले में वक्फ सम्पत्ति को अधिग्रहित कर बिना बोर्ड की स्वीकृति लिए मुआवजे की राशि का भुगतान वक्फ अंजुमन कमेटी, तिदनी को किए जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | (1) इस गलती के लिए 14 तारीख को जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें जाँच की गई है और कलेक्टर ने 20 फरवरी को इसके जांच के आदेश दे दिये हैं।<br><br>(2) वक्फ बोर्ड ने एफआईआर के आदेश दे दिये हैं और जो-जो दोषी होंगे उन पर कार्यवाही होगी, उन पर एफआईआर होगी और विधायक जी चाहेंगे तो मैं इसकी कॉपी विधायक जी को दे दूँगी।<br><br>(3) वहाँ गलत हुआ है और विवेचना के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।<br><br>(4) विवेचना में जो-जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही होगी और एफ.आई.आर. होगी। | प्रकरण में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा प्रारंभिक जांच कराई गई है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर मण्डला को विस्तृत जांच करने हेतु पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा लिखा गया है। कलेक्टर मण्डला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/06/2017**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>प्रकरण में कोतवाली मण्डला के अप क्रमांक 129/17 धारा 420,467,468,471,120 बी ताहि. के प्रकरण में जांच पूर्ण उपरांत अभियोजन अधिकारी से विधिक राय प्राप्त कर शीघ्र अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 16/03/2020**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>कलेक्टर मण्डला के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में कोतवाली मण्डला द्वारा अपराध क्रमांक 129/17 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण में जांच उपरांत अभियोजन अधिकारी से विधिक राय प्राप्त कर अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 31/01/2022**<br><br><u>अद्यतन जानकारी</u> :-<br>प्रकरण में मान. मंत्रीजी द्वारा दिये गये आश्वासन के बिन्दु क्रमांक-2 के संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 11.07.2023 के द्वारा एफ.आई.आर की प्रति मान. विधायक जी को उपलब्ध करा दी गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-18/07/2023** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | **872** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 51 (प्रश्न क्रं. 6644) दिनांक: 30/03/2017 (श्री के.डी. देशमुख) | बालाघाट जिले के विकासखण्ड कटंगी के ग्राम कोडबी में निवासरत गासी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जाना। | (1) जी हाँ।<br>(2) नियमानुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से परीक्षण कराया जाएगा। | एक क्षेत्र विशेष से प्राप्त मांग गासी को माली जाति में या अन्य जाति के अंतर्गत शामिल/दर्ज किये जाने संबंधित मांग औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती। मूल जाति माली पूर्व से पिछडा वर्ग में शामिल है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 12/03/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (5) | **873** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 110 (प्रश्न क्रं. 7784) दिनांक: 30/03/2017 (श्री इन्दर सिंह परमार) | पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालय आर.ए.के. परिसर जहांगीराबाद भोपाल के पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले अन्य महाविद्यालयों के छात्रों के समान पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की जाना। | परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। | पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालय आर.ए.के. परिसर जहांगीराबाद भोपाल के पिछडा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-11/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (6) | **874** | अतारांकित प्रश्न सं. 143 (प्रश्न क्रं. 7776) दिनांक: 30/03/2017 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल) | कटनी जिला कार्यालय द्वारा योजनाओं के बाह्य मूल्यांकन संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र अनुसार कार्यवाही की जाना। | विभागीय योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन राज्य योजना आयोग से कराने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। | विभागीय योजनाओं का मूल्यांकन कराने के लिए बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया एवं वित्त विभाग से बजट प्रावधान करा लिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-09/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | **875** | अतारांकित प्रश्न सं. 156 (प्रश्न क्रं. 7825) दिनांक: 30/03/2017 (श्री आरिफ अकील) | मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के नियंत्रणहीन भोपाल की औकाफे आम्मा मुतावल्ली कमेटी के विगत 03 वर्षो का ऑडिट कराया जाना। | संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल को विभागीय आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 के संदर्भ में मुतावल्ली कमेटी इंतेजामिया औकाफ-ए-आम्मा भोपाल के लंबित लेखा वर्षो की संपरीक्षा तत्काल संपन्न किये जाने के निर्देश दिये गये है। | मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 वक्फ बोर्ड के पत्र क्र. बोर्डशाखा/17/7617, दिनांक 22.08.2017 के अनुसार अवगत कराया गया कि- विभागीय आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 के संदर्भ में मुतवल्ली कमेटी इन्तेजामिया औकाफ आम्मा के लंबित लेखों की संपरीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा पत्र क्र. 2407 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रेषित कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। औकाफ आम्मा द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन तैयार किये जाने संबंधी जानकारी दी गई है। पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने की प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-22/09/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | 75 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.235) दिनांक: 23/02/2017 (श्री निशंक कुमार जैन) | मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान लिपिकीय संवर्ग के समस्त सहायक ग्रेड-3 को द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण किया जाना। | प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। | प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, परन्तु समयमान वेतनमान योजना में उच्चतर वेतनमान दिये जाने का सिद्धान्त रखा गया है न कि पदोन्नत पद का वेतनमान । अतः सहायक ग्रेड.3 को मंत्रालय के समान पदोन्नत पद के वेतनमान दिये जाने से अन्य सभी सेवा संवर्गो के लिये भी तदनुसार ही प्रावधान किया जाना आवश्यक हो जाएगा, जिसका राज्य के वित्तीय संसाधनो पर व्यापक प्रभाव पडेगा। अतः परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार करना संभव होना नही पाया। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-28/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | 314 | तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1708) दिनांक: 03/03/2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा) | देवास जिले के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान न किए जाने की जांच कराई जाकर भुगतान कराया जाना। | आप सूची उपलब्ध करवा दें। | प्रश्नकर्ता मान.सदस्य द्वारा पृथक से ऐसे कोई प्रकरण संज्ञान में लाए जाना ज्ञात नही है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :- 28/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 570 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.5031) दिनांक: 10/03/2017 (कुँवर सौरभ सिंह) | कटनी जिलान्तर्गत माइक्रो फायनेंस कंपनियों/समूहों द्वारा ऋण ग्रहिताओं से धोखा किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता सदस्य की शिकायत की जांच की जाना। | आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। | कलेक्टर,कटनी पुलिस अधीक्षक कटनी के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। कलेक्टर कटनी व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 19.6.2017 को प्रेषित प्रतिवेदन में विभिन्न प्रायवेट फायनेंस कम्पनियों व्दारा ऋण ग्रहिताओं से धोखा किये जाने एवं परेशान किये जाने संबंधी उल्लेख नहीं है।<br>पुलिस अधीक्षक कटनी व्दारा दिनांक 25.4.2017 को प्रेषित प्रतिवेदन में स्वेच्छा से लोन लेना प्रतिवेदित किया है। यह भी प्रतिवेदित किया है कि कुछ महिला समूह की महिलाओं व्दारा लोन वापिसी नही करना चाहा रही है, इस कारण से आवेदन पत्र देना पाया गया है।<br>भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 19.4.2017 में माननीय सदस्य व्दारा अपने पत्र में उठाये गये मुद्दो के संबंध में यह लेख किया है कि दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड तथा जनलक्ष्मी फायनेंस सर्विसेस लिमिटेड के मामले में इन मुद्दो पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई है। अतः वर्णित स्थिति के प्रकाश में प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-20/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (4) | 571 | अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.5521) दिनांक: 10/03/2017 (श्री नारायण सिंह पँवार) | म.प्र. में कार्यरत शासकीय महिला अध्यापक संवर्ग के कर्मियों को संतान पालन अवकाश योजना का लाभ यथाशीघ्र दिया जाना। | इस विषय पर समग्र रूप से विचार कर यथा समय निर्णय लिया जावेगा। | स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर समग्र रूप से विचार करते हुए महिला अध्यापक संवर्ग कर्मियों को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया गया।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-26/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **667** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 88 (प्रश्न क्रं. 4994) दिनांक: 21/03/2017 (श्री मुरलीधर पाटीदार) | सुसनेर वि.स. क्षेत्र में पेंशन योजना के अंतर्गत विधवाओं को पेंशन भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाना। | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में पेंशन योजना के अंतर्गत समस्त विधवा महिलाओं को माह मई 2017 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-10/11/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **860** | अतारांकित प्रश्न सं. 48 (प्रश्न क्रं. 5507) दिनांक: 28/03/2017 (श्री रामकिशन पटेल) | रायसेन जिले अंतर्गत 01 जनवरी 2009 के बाद से आयोजित लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों को कम्प्यूटराईजेशन किया जाना। | प्राप्त आवेदनों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है। | प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 26.02.2009 से लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों को वेबसाईट http://demo.mp.nic.in/odg/ main.htm पर कम्प्यूटराईजेशन करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे, जो कि डेमो साईट थी जो कि वर्तमान में बंद हो चुकी है और फीडिंग कार्य नही किया जा सकता, जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी अनुसार लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों को एक्सेल फाईल में पंजीबद्ध कर रिकार्ड संधारित किया जा चुका है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-10/11/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **606** | तारांकित प्रश्न सं. 15 (प्रश्न क्रं. 1742) दिनांक: 20/03/2017 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर) | टीकमगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र खरगापुर में मछुआ समितियों को योजनान्तर्गत सूखा राहत राशि का अनुदान दिया जाना। | कुछ सोसायटियां छूट गई हैं वे किस कारण छूट गई हैं इसका परीक्षण कराकर हम इस पर कार्यवाही करेंगे। | आश्वासन अनुसार सूखा राहत के लिए छूट गई सहकारिता समिति खरगापुर विधान सभा का परीक्षण कराया गया। कोई भी समिति सूखा राहत के लिये पात्र नहीं पाई गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **794** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 139 (प्रश्न क्रं. 7354) दिनांक: 27/03/2017 (श्री नीलेश अवस्थी) | ग्राम पंचायत अभाना, जनपद पंचायत मझौली, जिला जबलपुर में मत्स्य पालन एवं सिंघाड़ा उत्पादन हेतु नियम विरूद्ध दिये गये पट्टे निरस्त किया जाना। | तालाबों को पट्टे पर देने संबंधी आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। | तालाबो के पटटे निरस्तीकरण का प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कमीशन जबलपुर में विचाराधीन है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-27/06/2017**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा प्रकरण को खारिज कर दिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-31/08/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **795** | अतारांकित प्रश्न सं. 65 (प्रश्न क्रं. 5980) दिनांक: 27/03/2017 (श्री मोती कश्यप) | जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 05 का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना। | प्रश्नाधीन जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 5 के जनसंकल्प को क्रियान्वयन हेतु आयुक्त पंचायत राज्य विभाग को लिखा गया है। | जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक-5 "वर्तमान मत्स्य पालन नीति की कंडिकाओं में उचित परिवर्तन करते हुये नावघाट, रेतघाट एवं सिघाडा कमल कटटा की फसलों हेतु नई नीति का सृजन" के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 2840 दि.19.09.2016 से नावघाट एवं रेतघाट की नीति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आयुक्त पंचायत राज विभाग अरेरा हिल्स भोपाल को लिखा गया था तथा पुन: क्रमांक 4663 दिनांक 25.1.17 से स्मरण कराया गया संचालक पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 ने अवगत कराया है कि म0प्र0 जनपद पंचायत नाव घाट प्रबंधन पूर्व में ही प्रचलित है । उक्त विषय विभाग से संबंधित न होने से एकल नस्ती जावक क्रमांक 250 दिनांक 04.3.2017 से शासन के माध्यम से उक्त बिन्दु को विलोपित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नस्ती क्रमांक 955/2017/1/9 दिनांक 19.5.2017 से नावघाट एवं रेतघाट विलोपित कर दिया गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-27/06/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (4) | **796** | अतारांकित प्रश्न सं. 158 (प्रश्न क्रं. 7393) दिनांक: 27/03/2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह) | रीवा जिले में जलमोहरा जलाशय के समीप फेरीफेटल पोण्ड निर्माण हेतु चयनित भूमि से अवरोध हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जाना। | भूमि से अवरोध हटाने के लिये कार्यवाही प्रचलन में है। | सहायक संचालक मत्स्योद्योग रीवा के पत्र क्रमांक 634 दिनांक 15-06-2017 से अवगत कराया गया कि प्रस्तावित चयनित भूमि पर कोई अवरोध नही। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-27/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र
संस्कृति विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **572** | तारांकित प्रश्न सं. 3 (प्रश्न क्रं. 264) दिनांक: 10/03/2017 (श्री जितेन्द्र गेहलोत) | रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व विभाग की इमारतों, मंदिरों, स्थानों को तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से विकसित किया जाना । | आलोट के कामों की उनकी जो लिस्ट है, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा । इस राशि से वह काम नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद भी पुरातत्व विभाग द्वारा उसकी परीक्षण कराकर जहां आवश्यकता होगी उसके अनुसार काम करा लिया जायेगा । | आलोट तहसील जिला रतलाम एवं ताल स्थित अनादि कल्पेश्वर, महादेव मंदिर, भादवा माता मंदिर का निरीक्षण विभाग द्वारा किया गया है। उक्त मंदिर पुरातात्विक महत्व के नहीं हैं। अत: संस्कृति विभाग की ओर से कोई कार्यवाही शेष नहीं है । **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-07/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **573** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 63 (प्रश्न क्रं. 4635) दिनांक: 10/03/2017 (श्री गोविन्द सिंह पटेल) | नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चौमान किले के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच की जाना । | रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत नियमानुसार कार्यवाही कराई जावेगी । | कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा उनके प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि जांच के समय ली गई नमूना जो जांच का मुख्य आधार था जिसका लेब टेस्ट न होने और किये गये कार्य दो वर्ष तीन माह से अधिक होने पर जांच समिति द्वारा कोई तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अत: इन परिस्थितियों में जांच कार्यवाही समाप्त की जाने की अनुशंसा की जाती है। अत: जांच में कोई अनियमितता न पाये जाने से प्रकरण (आश्वासन) समाप्त किया जाता है । **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :- 28/06/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **62** | तारांकित प्रश्न सं. 23 (प्रश्न क्रं. 740) दिनांक: 23/02/2017 (श्री नारायण सिंह पँवार) | ब्यावरा नगर के धार्मिक पर्यटन स्थल श्री अंजनीलाल मंदिर के विकास कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना। | विकास कार्य की निविदा कार्यवाही प्रचलन में है। | कार्य स्थल का भूमि पूजन दिनांक 28.05.2017 को सम्पन्न किया गया, कार्य प्रारंभ कर स्वीकृति अनुसार किये जा रहे है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-13/07/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **63** | अतारांकित प्रश्न सं. 3 (प्रश्न क्रं. 27) दिनांक: 23/02/2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) | रतलाम जिले की जावरा तहसील अन्तर्गत कांकरवा पर्यटन स्थल को यथाशीघ्र विद्युतीकरण कराया जाना। | कार्य आगामी 3-4 माह में पूर्ण होने की संभावना है। | ऊर्जा विभाग द्वारा रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत कांकरवा पर्यटन स्थल पर विद्युतीकरण हेतु दिनांक 03.02.2017 को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्माण उप संभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के दौरान वास्तविक भौतिक सर्वे एवं स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यो में अंतर पाये जाने के कारण प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है, जिसके अनुमोदन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदनोपरांत उक्त विद्युतिकरण का कार्य माह अक्टूबर 2017 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-23/06/2017**<br><br>अद्यतन जानकारी :-<br>रतलाम जिले की जावरा तहसील के अंतर्गत कांकरवा पर्यटन स्थल पर विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 08.07.2017 को पूर्ण कर स्थापित विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर एवं लाईन को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-09/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **562** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 34 (प्रश्न क्रं. 3951) दिनांक: 10/03/2017 (श्री दिनेश राय (मुनमुन)) | सिवनी जिले में पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित आवेगांव का किला, रिछारिया देव स्थान एवं ग्वारी संरक्षित स्मारक के विकास हेतु जारी निविदा की स्वीकृति देकर इस क्षेत्र को विकसित किया जाना। | निविदा कार्यवाही प्रचलन में है। | पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा रिछारिया देव का स्थान ग्वारी जिला सिवनी के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू. 6,38,300/- की राशि स्वीकृत हुई, जिसकी ई-निविदा अनुमोदन पश्चात राशि रू. 5,38,400/- की राशि से स्मारण के परिसर की स्टोन फ्लोरिंग, पेडिस्टल की पुताई एवं दिशासूचक बोर्ड लगाने का नियत समयावधि में पूर्ण करा लिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-23/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| . (4) | **763** | तारांकित प्रश्न सं. 6 (प्रश्न क्रं. 6149) दिनांक: 24/03/2017 (कुँवर सौरभ सिंह) | कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के अन्तर्गत प्राचीन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना। | (1) परीक्षण करके सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।<br><br>(2) ठीक है। | विभागीय आदेश क्रमांक 473/योजना -740 /अ.पर्य/ 2017, दिनांक 17/07/2017 द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप उल्लेखित 4 कार्यो के लिए 21.50 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-09/02/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

फरवरी - मार्च 2017 सत्र

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **388** | अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.391) दिनांक: 07/03/2017 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके) | मण्डला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त शिकायतों में से शेष 145 शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना। | शेष 145 शिकायतों पर कार्यवाही प्रचलित है। | मण्डला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत में लंबित 145 शिकायतों पर कार्यवाही की जाकर पूर्ण 145 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-15/03/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

## फरवरी - मार्च 2017 सत्र
## घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जनजाति विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **210** | अतारांकित प्रश्न सं. 145 (प्रश्न क्रं. 2950) दिनांक: 01/03/2017 (श्री मुकेश पण्ड्या) | बड़नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को पात्रतानुसार पट्टा वितरण किया जाना। | शेष परिवारों को पट्टा वितरण हेतु पात्रता परीक्षण कराया जाकर कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। | बढ़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों में नट समाज के 140 परिवारों में से 52 पात्र परिवारों को पट्टा प्रदान किये गये व शेष 88 परिवार अपात्र पाये गये।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-15/02/2019** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **463** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 19 (प्रश्न क्रं. 1325) दिनांक: 08/03/2017 (श्री अरूण भीमावद) | शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में निवासरत् विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ बस्तियों के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाना। | जी हाँ। जिले को प्रश्नांश (ग) भाग में वर्णित अनुसार राशि उपलब्ध कराई जायेगी। | बस्ती विकास योजना के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जिले को राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-09/07/2020**<br><br>**<u>अद्यतन जानकारी</u> :-**<br>शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में बस्ती विकास में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के आश्वासन के संदर्भ में जिला शाजापुर को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 24.98 लाख आवंटित की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 67.99 लाख बस्ती विकास योजना अंतर्गत राशि आवंटन की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-16/10/2024** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **464** | अतारांकित प्रश्न सं. 194 (प्रश्न क्रं. 4898) दिनांक: 08/03/2017 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) | बालाघाट जिलान्तर्गत विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों का निश्चित समय सीमा में सर्वे कराकर चिन्हित जातियों को सरकार की योजना का लाभ दिया जाना। | विभाग द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन जनजातियों का सर्वेक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। | राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा हैं। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-06/11/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (4) | **691** | तारांकित प्रश्न सं. 8 (प्रश्न क्रं. 6029) दिनांक: 22/03/2017 (श्री सचिन यादव) | खरगोन जिले के कसरावद विकासखंड अंतर्गत सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्यो की स्वीकृति शीघ्र की जाकर कार्य पूर्ण कराए जाना। | (1) जनपद के माध्यम से इस काम को जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा । बाकी जो दो काम हैं उसमें से एक शहरी क्षेत्र में आता है और एक पर परीक्षण कराया जा रहा है कि विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लोग वहाँ पर हैं कि नहीं।<br><br>(2) 4 काम जल्दी से जल्दी कर दिये जाएंगे। | शेष कार्य सीमित बजट होने के कारण पूर्ण कराना संभव नहीं है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी दिनांक :-03/07/2018** | समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि माननीय सदस्य की मंशानुरूप तथा आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा उक्त कार्यो को पूर्ण करने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | **692** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 105 (प्रश्न क्रं. 6409) दिनांक: 22/03/2017 (श्री गिरीश भंडारी) | प्रश्न क्र. 79, दिनांक 18.7.2016 के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला नरसिंहगढ़ द्वारा ग्राम हुलीखेड़ा में आवासों में की गई अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध जांच संस्थित कर जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही व राशि वसूल की जाना। | राशि वसूली एवं विभागीय जांच के निर्देश जारी किए गए है। | कार्यालय कलेक्टर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला राजगढ़(ब्यावरा) म0प्र0 के पत्र के पत्र क्रमांक 516/वि.घु.अर्द्ध.घु/2017-18/1280 राजगढ़ दिनांक 07.02.2018 के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध जिला पंचायत राजगढ़ का आदेश क्रमांक 2300/प्र.प.को./स्था./दि. 28.03.2017 के द्वारा श्री राम सिंह पवार पंचायत समन्वय जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ की आगामी एक वार्षिक वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं एवं पत्र क्रमांक 2298/प्र.प्र.को./स्था./17 दि.28.03.2017 के श्री राजाराम वर्मा, पंचायत समन्वय जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है एवं पत्र क्रमांक 2302/प्र.प्र.को./स्था./17 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा श्री जगदीश सिंह तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत हुलखेड़ी का निलंबन किया गया है। अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के द्वारा ग्राम पंचायत हुलखेड़ी के सरपंच के विरूद्ध धारा-40 एवं 92 के तहत वसूली योग्य राशि 2.70 लाख की वसूली की कार्यवाही किश्तों में की जा रही है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-30/07/2018** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | **885** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 59<br>(प्रश्न क्रं. 7133)<br>दिनांक: 30/03/2017<br>(श्री के.डी. देशमुख) | बालाघाट जिले में चाकाहेटी से सतीटोला मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर पुलिया का निर्माण किया जाना। | कार्यवाही प्रचलन में है। | कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट का पत्र क्र. -10019/बालाघाट दिनांक 21.03.2017 के द्वारा चाकाहेटी से सतीटोला मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर पुलिया के निर्माण किये जाने के संबंध में पत्र क्र. 9036 दिनांक 28.01.2017 द्वारा सचिव गौण खनिज बालाघाट को निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। अत: उक्त योजना विभाग में संचालित नहीं है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-03/07/2018**<br><br>अद्यतन जानकारी :-<br>चाकाहेटी से सतिटोला मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य दिनांक 01/10/2020 को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-02 बालाघाट द्वारा कराया जा चुका है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :- 24/09/2024** | कोई टिप्पणी नहीं. |

## फरवरी - मार्च 2017 सत्र
## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **426** | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं. 146 (प्रश्न क्रं. 4365) दिनांक: 07/03/2017 (श्रीमती सरस्वती सिंह) | कटनी जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन करने वाले आवंटन अधिकारी द्वारा 02 इकाईयों के पट्टे बहाल करने के संबंध में की गई जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | श्री बाबा साल्वे, तत्कालीन महाप्रबंधक, (से.नि.) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप शासन को पहुंचाई गई हानि रूपये 4000/- की वसूली इन्हें देय पेंशन/उपादान की राशि से वसूल करने के संबंध में आदेश क्रमांक एफ 8-98/2017/बी-73 दिनांक 29.08.2018 जारी किया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-07/01/2019** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **427** | अतारांकित प्रश्न सं. 202 (प्रश्न क्रं. 4851) दिनांक: 07/03/2017 (श्रीमती रेखा यादव) | प्रदेश में संचालित **"मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना"** अंतर्गत प्राप्त ऋण संबंधी प्रकरणों में से शेष प्रकरणों पर ऋण वितरण की कार्यवाही की जाना। | शेष प्रकरणों में वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना अंतर्गत छतरपुर जिले को निर्धारित लक्ष्य 510 के विरूद्ध कुल 517 प्रकरणों में स्वीकृति पश्चात 511 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-03/10/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| क्र. | आश्वाशन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (1) | **107** | ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं. 234) दिनांक: 27/02/2017 (श्रीमती सरस्वती सिंह) | सिंगरौली जिले के गोरबी कॉलरी में कोयला लोडिंग किये जाने पर वहां प्रदूषण फैलने तथा पर्यावरण के प्रभावित होने की जांच के लिए जांच समिति गठित कर जांच कराई जाना। | (1) माननीय सदस्या ने पर्यावरण की चिंता की है. हम हमारे विभाग के अधिकारियों से इसकी जांच करा लेंगे ।<br><br>(2) आपको भी रखा जाएगा । | मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की गठित समिति द्वारा दिनांक 29/06/2017 को माननीय विधानसभा सदस्य श्रीमती सरस्वती सिंह के साथ गोरबी कॉलरी के पास कोयला लोडिंग-अनलोडिंग स्टेशन महदेईयां का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है । माननीय विधायिका की अध्यक्षता में दिनांक 29/6/17 को किये गये निरीक्षण एवं दिये गये निर्देशों के परिपालन में क्षेत्रीय अधिकारी,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सिंगरौली ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु संबंधित संस्थान को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण हेतु सक्षम प्रदूषणरोधी व्यवस्थायें किये जाने के लिये निर्देशित किया गया है ।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-04/09/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |
| (2) | **341** | तारांकित प्रश्न सं. 8 (प्रश्न क्रं. 894) दिनांक: 06/03/2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा) | दिनांक 01 मई, 2017 से प्रदेश में पॉलीथिन प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाना । | 01 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया जाएगा । | मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम,2004 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन,भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रं0 एफ 5-2/2015/18-5,दिनांक 24/5/2017 असाधारण राजपत्र दिनांक 24/5/2017 में प्रकाशित की गई है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-01/06/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | **601** | अतारांकित प्रश्न सं. 177<br>(प्रश्न क्रं. 6440)<br>दिनांक: 20/03/2017<br>(श्री जितू पटवारी) | म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अंतर्गत बिल्डरों/संचालकों द्वारा बिना बोर्ड की सम्मति के कराए गए कार्यो की जांच एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी बिल्डरों/संचालकों पर कार्यवाही की जाना। | बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अंतर्गत 22 बिल्डरों/संचालकों को बोर्ड की बगैर सम्मति के निर्माण कार्य करने, घरेलू दूषित जल उपचार व्यवस्था नहीं करने एवं प्रावधानों का उल्लंघन बोर्ड के संज्ञान में आने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। | बोर्ड द्वारा 11 बिल्डरों/संचालकों के विरूद्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत न्यायालयीन वाद दायर किये गये है। 05 बिल्डरों/संचालकों द्वारा बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर ली गई है, 01 बिल्डर का सम्मति हेतु आवेदन विचाराधीन है एवं 05 बिल्डरों/संचालकों द्वारा घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है।<br>**ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी**<br>**दिनांक :-28/08/2017** | कोई टिप्पणी नहीं. |

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2025

**हरिशंकर खटीक**
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति